दिनांक 27-06-2016 को मो0 सोहेल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी-2016 की आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बताया गया कि संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण सजग है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा विडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक-22.06.2016 को समीक्षा बैठक की गई है जिसमें कतिपय निदेश दिये गये है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी समीक्षा कभी भी की जा सकती है। अतः संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए ससमय आवश्यक तैयारी कर ली जाए।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बिन्दुवार समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

01. नाव :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में जल स्तर बढ़ने से आलमनगर और चौसा के कुछ भाग यथा फुलौत, मुरौत, गंगापुर, रतवारा, सोनामुखी इत्यादि जगहों में पानी भर जाता है। इससे आवागमन प्रभावित होता है। आवागमन प्रभावित न हो इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चिन्हित घाटों पर सरकारी नाव का परिचालन किया जा रहा है।

अंचल अधिकारी, पुरैनी द्वारा बताया गया कि पुरैनी अंचल में दो नाव का निबंधन कराया गया है एवं नाव मालिक से एकरारनामा भी प्राप्त कर लिया गया है। वर्त्तमान में पुरैनी अंचल में नाव परिचालन की आवश्यकता नहीं है।

अंचल अधिकारी, चौसा द्वारा बताया गया कि 21 (एक्कीस) नाव का निबंधन कराया गया है, जिसमें दो नाव का परिचालन किया जा रहा है। शेष सभी नावों के मालिक से एकरारनामा कर लिया गया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर परिचालन किया जाएगा।

अंचल अधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि 72 (बहत्तर) निजी नाव में से 53 (तिरपन) निजी नाव को चिन्हित किया गया है, जो ठीक एवं चालू अवस्था में है। चिन्हित नावों में से 7-8 नावों का निबंधन कराया गया है एवं शेष सभी नावों का नाव मालिकों से एकरारनामा कर लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर नाव का परिचालन किया जाएगा।

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिला में क्रय किये गये 15 सरकारी नाव में से 04 (चार) नाव आलमनगर अंचल एवं 04 (चार) नाव चौसा अंचल को उपलब्ध कराया गया है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आलमनगर एवं चौसा के अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराये गये सरकारी नाव को भी चिन्हित कर लें, ताकि आवश्यकतानुसार इसका परिचालन किया जा सके।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले को प्राप्त 10 इनफलाटेबल मोटर वोट में से एक-एक मोटर वोट आलमनगर एवं चौसा को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही विभाग से प्राप्त दो एफ0आर0पी0 वोट जो आलमनगर एवं चौसा को उपलब्ध कराया गया था, उसमें कुछ तकनीकी खराबी है। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिले में सुरक्षित इनफलाटेबल मोटर वोट में से एक-एक मोटर वोट आलमनगर एवं चौसा को तुरंत उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही खराब पड़े एफ0आर0पी0 मोटर वोट को ठीक करने हेतु तकनीशियन/मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराया जाय। तत्पश्चात आलमनगर एवं चौसा अंचल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/अंचल अधिकारी, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी)।

02. पॉलीथीन शीट्स आदि की व्यवस्था :-

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि जिला के गोदाम में 5000 पॉलीथीन शीट्स भंडारित है। जिस अंचल अधिकारी को पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता है उनके अधियाचना पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अंचल अधिकारी, चौसा एवं पुरैनी द्वारा वर्त्तमान में पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता नहीं होने की बात बताई गई है। जबकि अंचल अधिकारी, आलमनगर द्वारा पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता होने की बात कही गई है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी, आलमनगर से तुरंत अधियाचना प्राप्त कर पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/अंचल अधिकारी, आलमनगर)।

03. मानव दवा की व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आलमनगर एवं चौसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यथा फुलौत, लौवालगान, पैना, मोरसंडा, खापुर रतवारा आदि क्षेत्रों में मेडिकल टीम निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पेट दर्द इत्यादि की ही दवा उपलब्ध रहती है। जबकि सर्प दंश आदि की दवा उपलब्ध नहीं रहती है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे प्रचुर मात्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक दवाईयॉं, ब्लीचिंग पाउडर, सर्प दंश, हेलोजन, क्लोरिन, मलेरिया, कालाजार इत्यादि की दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त दवाई की सूची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सूचना पट्ट पर लेखन करा दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को स्पष्ट हो सके कि उपरोक्त सभी दवाई यहां उपलब्ध है। संबंधित चिकित्सक के मोबाईल नम्बर भी सूचना पट्ट पर अंकित करा दें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उससे सम्पर्क स्थापित कर दवाई प्राप्त कर सके।

(अनुपालन- असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा)।

04. पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दिनांक-27.04.2016 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया था कि वे कैम्प लगाकर पशु टीकाकरण का कार्य चलाना सुनिश्चित करें। जबकि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कहीं भी पशु चिकित्सक/कर्मी को नहीं पाया गया।

जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पशु चारा की उपलब्धता हेतु निविदा प्रकाशन की गई है। वर्त्तमान में दर का निर्धारण नहीं हो पाया है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निदेश दिया गया कि वे बगल के जिलों यथा पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल से भी सम्पर्क स्थापित किया जाए। उस जिले में यदि चारा का दर निर्धारित है तो उस आधार पर दर निर्धारित कर चारा आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि चारा आपूर्त्तिकर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर आपूर्त्तिकर्त्ता की सूची तैयार कर ली जाए, ताकि आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर पशु चारे का क्रय किया जा सके। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, फुलौत, मुरौत, रतवारा आदि जगहों पर वहाँ के बाढ़ आश्रय स्थल, मनरेगा ऑफिस, मंदिर आदि स्थलों पर कैम्प लगाकर पशु टीकाकरण चलाई जाय।

(अनुपालन- जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा)।

05. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था :-

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर चापाकल की व्यवस्था करा दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों यथा आलमनगर एवं चौसा के मुरौत, फुलौत, गंगापुर, रतवारा, सोनामुखी इत्यादि जगहों पर चापाकल को उँचा कर चबूतरा बनवा दिया गया है, ताकि बाढ़ की स्थिति में भी पानी उपलब्ध हो सके।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा निर्मित होने वाले 65 सिंगुर पम्प में से 55 सिंगुर पम्प जिले में तैयार बाढ़ आश्रय स्थल 4-4 पम्प आलमनगर एवं चौसा अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तथा शेष 2 पम्प तैयार हो रहे बाढ़ आश्रय स्थल पर लगाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा)।

06. बिजली की व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, विधुत प्रमंडल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जहां-जहां नाव का परिचालन किया जा रहा है वहां रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए, ताकि आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। संबंधित अंचल अधिकारी नाव परिचालित स्थलों पर आबादी निष्कासन मद से बल्ब लगाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि खास कर बाढ़ के ईलाके में तार एवं ट्रांसफर्मर को सही करा लेना है। उक्त क्षेत्र में दिन में कम बिजली भी प्राप्त हो, लेकिन रात में निश्चित रूप से बिजली उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, विधुत प्रमंडल, मधेपुरा)।

07. राहत एवं बचाव दल का गठन :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अंचल अधिकारी, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी को निदेश दिया गया कि बाढ़ के समय प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने एवं बचाव हेतु पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर राहत एवं बचाव दल का गठन प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड /अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार के दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, होमगार्डो एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर किया जाए तथा इसकी सूची तैयार कर लेंगे। साथ ही वे अपने स्तर से प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी/कर्मी का प्रतिनियुक्ति आदेश मोबाईल नम्बर सहित निर्गत करते हुए उसकी एक प्रति जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी)।

08. जेनरेटर सेट /पेट्रोमेक्स /महाजाल की व्यवस्था :-

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस जिले में 02 (दो) महाजाल का क्रय किया गया है, जिसमें एक महाजाल अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को उपलब्ध कराया गया है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अंचल अधिकारी, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी को निदेश दिया गया कि वे जेनरेटर सेट /पेट्रोमेक्स आदि के लिए जेनरेटर सेट मालिकों से सम्पर्क स्थापित कर एकरारनामा तैयार करवा लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जेनरेटर सेट /पेट्रोमेक्स सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी)।

09. आकस्मिक फसल योजना का सुत्रण :-

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में कृषकों द्वारा धान का बिचरा गिराया जा रहा है। अभी सुखाड़ की स्थिति नहीं है। सुखाड़ की स्थिति होने पर तोरिया आदि लगाया जा सकता है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि कम अवधि में तैयार होने वाले धान की फसलों के लिए योजना तैयार की जाए। ताकि सुखाड़ की स्थिति होने पर किसान को कम समय में धान की फसल प्राप्त हो सके।

(अनुपालन- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा)।

10. सड़क की मरम्मति :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सड़क के मामले में फुलौत की स्थिति अच्छी नहीं है। मात्र एक पुल है जिससे आवागमन बहाल है। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र से 15 एवं मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र से 05 कुल-20 ऐसे सड़कों को चिन्हित कर उनके मरम्मति के लिए अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से विभाग को भेजें।

(अनुपालन- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)।

11. अन्यान :-

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि प्रायः देखा जाता है कि छः बजे शाम के पश्चात् आवश्यक कार्य से अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलाया जाता है तो उनके द्वारा कोई न कोई बहाना बनाया जाता है यथा गाड़ी ठीक नहीं है अथवा चालक नहीं है इत्यादि-इत्यादि। इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो आपदा के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अंचल अधिकारी, आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी को निदेश दिया गया कि वे गाड़ी ठीक करवा ले एवं चालक मुख्यालय में रहे यह सुनिश्चित करावें। साथ ही टॉर्च, रेनकोट, गणबुट इत्यादि क्रय कर लें, ताकि कहीं से भी सूचना प्राप्त होने पर निःसंदेह उस स्थल पर पहुँचा जा सके। जिला में कहीं से भी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो जिलाधिकारी के पहुँचने से पहले संबंधित अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभावित स्थल पर दिखना चाहिए यह सुनिश्चित हो।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला एवं सभी संबंधित पदाधिकारी)।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....400...../आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक.....30/6/16

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना /पी0एच0ई0डी0 /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ /एन0एच0, मधेपुरा /सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी /सभी अभियंता, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
30/6/16